

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर राशमी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प :- अटल सेवा केन्द्र मरनी



-: आदेश :-

प्र0सं0 :- ~~53/2018~~ / 2016
53/2018

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी मरनी व भूअ.नि.
..... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार राशमी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू राजस्व
अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम मरनी तहसील राशमी व जिला
चित्तौड़गढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में खाता संख्या 488 में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद
के आदेश दिये जाते है :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	मरनी	488	लेख सिंह पिताकालु सिंह	लेख सिंह पिता कालुसिंह

401
(पंकज शर्मा)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी, जिला-चित्तौड़गढ़

(सिद्धलाल प्रविहार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
राशमी

क्रमांक/राजस्व/ 53/2018
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 10-05-18

1. तहसीलदार, राशमी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री लेख सिंह पिता कालु सिंह के को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

401
(पंकज शर्मा)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी, जिला-चित्तौड़गढ़

(सिद्धलाल प्रविहार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
राशमी